बिहार सरकार

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

संकल्प

डा. अचिन्त्य (बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा) प्राचार्य, सीतामढ़ी अभियंत्रण महाविद्यालय सीतामढ़ी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के संदर्भ में डा. राजेन्द्र प्रसाद सिंह, तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य मगध अभियंत्रण महाविद्यालय, गया के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के विभागीय जॉच संचालन पदाधिकारी के रूप में जानबुझ कर विभागीय कार्यवाही संचालित नहीं किया गया। सरकार द्वारा विभागीय कार्यवाही को पुनः संचालित किये जाने के निदेश के बावजूद इनके द्वारा भ्रामक एवं तथ्यों से विपरीत जॉच प्रतिवेदन सरकार को उपलब्ध कराया गया है। उल्लेखनीय है कि संबंधित विभागीय कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय में अवमानना वाद से आच्छादित है। इसके वाबजूद उपलब्ध नहीं कराया गया है। साथ ही सरकार के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है।

2. डा. अचिन्त्य के विरूद्व घोर अनुशासहीनता माननीय उच्च न्यायालय के निदेर्शो के अनुपालन को वाधित किया जाना, वरीय पदाधिकारियों के लिए न्यायालय के अवमानना की स्थिति उत्पन्न करना, सरकारी कार्यकलापों का अद्यतन सरकारी निर्देशों एवं परिपत्रों का घोर अज्ञानता, अविवेकपूर्ण कार्यकलाप एवं गंभीर कदाचारिता का प्रथम दृष्टव्या दोषी पाये गए।

3. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9 (1) (क) में निहित प्रावधानों के तहत **डा. अचिन्त्य को आदेश निर्गत होने की तिथि से अगले आदेश तक निलंबित** किया जाता है।

4. निलंबन अवधि में डा. अचिन्त्य का मुख्यालय भागलपुर अभियंत्रण महाविद्यालय में निर्धारित किया जाता है।

5. निलंबन अवधि में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमवाली, 2005 के नियम 10 के आलोक में अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

आदेशः— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

30.10.17

सरकार के उप सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,

ज्ञापांक — वि० प्रा० (I) आ०—01/2017/ 2601 **/दिनांक —** 30-10-2017

प्रतिलिपि— प्रभारी पदाधिकारी, ई—गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (प्रबंधक आई०टी०, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के माध्यम से)/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.10.17

सरकार के उप सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,

ज्ञापांक — वि० प्रा० (I) आ०—01/2017/ 2601 **/दिनांक —** 30-10-2017

प्रतिलिपि— डा. अचिन्त्य, प्राचार्य, सीतामढ़ी अभियंत्रण महाविद्यालय सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.10.17

सरकार के उप सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,

Scanned by CamScanner